ई-मेल

बजट आवंटन वर्ष 2011–12

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
कौशाम्बी, उन्नाव, चित्रकूट, बांदा, मथुरा, सहारनपुर, वाराणसी, कन्नौज, जौनपुर, मुरादाबाद, जालौन, गाजियाबाद, मिर्जापुर एवं अलीगढ़।

पत्रॉक:–जीओ–109/सम्पेक्षा/म0आ0यो0/दै0आ0/11–12 दिनांक: 19 दिसम्बर–2011

विषय: वित्तीय वर्ष 2011–12 में महामाया आवास योजना के अन्तर्गत दैवी आपदा हेतु आरक्षित मात्राकृत धनराशि के उपयोग/व्यय के सम्बन्ध में।

महोदय,

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण के शासनादेश संख्या–307/26–ब0प्र0–2011–17 (बजट)/2010, दिनांक 11–04–2011 एवं शासनादेश संख्या–683/26–ब0प्र0–2011–17 (बजट)/2010, दिनांक 9–9–2011 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत महामाया आवास योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 55000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत की गयी है। वित्तीय स्वीकृति के उक्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार कुल स्वीकृत धनराशि का 10 प्रतिशत अर्थात रू0 5500.00 लाख की धनराशि दैवी आपदा आदि हेतु मात्राकृत की गयी है। उक्त मात्राकृत धनराशि में से रू0 715.05 लाख, रू0 104.85 लाख एवं रू0 725.92 लाख कुल रू0 1545.82 लाख की धनराशि जनपदों को आवंटित की जा चुकी है। शेष बची धनराशि रू0 3954.18 लाख में से शासनादेश संख्या– संख्या–2132/38–4–11–25 –बजट/11 दिनांक 14–12–2011 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए रू0 300.545 लाख (रू0 तीन करोड़ चौवन हजार पांच सौ मात्र) उक्त शासनादेश में उल्लिखित जनपदों द्वारा व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शासनादेश दिनांक 14–12–2011 द्वारा दी गयी स्वीकृति के क्रम में रू0 300.545 लाख (रू0 तीन करोड़ चौवन हजार पांच सौ मात्र) संलग्नक–के कालम–3 के अनुसार आवंटित की जाती है। आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:–

1. धनराशि का व्यय दैवी आपदा से प्रभावित हुए आवासविहीन परिवारों के लिए महामाया आवास पर ही नियमानुसार किया जायेगा।
2. धनराशि के व्यय में शासनादेश संख्या–307/26–ब0प्र0–2011–17(बजट)/2010, दिनांक 11–04–2011 एवं शासनादेश संख्या–683/26–ब0प्र0–2011–17 (बजट)/ 2010, दिनांक 9–9–2011 में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. आवंटित की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।
5. धनराशि का आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरण के एक सप्ताह के अन्दर आहरित धनराशि का बाउचर संख्या व दिनांक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग को सूचित किया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो इसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–83 के अधीन लेखाशीर्षक "4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय–03–ग्रामीण आवास– आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–03–महामासा आवास योजना–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या–187 पर कर ली गई है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
17/12/11
(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रॉकः जीओ–109/सम्पेक्षा/म0आ0यो0/दै0आ0/10–11 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2– महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।

3– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0शासन।

4– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0शासन।

5– सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

6– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

7– वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–3/राज्य योजना आयोग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2।

8– नियोजन अनुभाग–2/3, उ0प्र0शासन।

9– ग्राम्य विकास अनुभाग–3/4, उ0प्र0शासन।

10– विशेष सचिव, ग्राम्य विकास, अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन को शासनादेश संख्या–2132/38–4–11–25(बजट)/11, दिनांक 14–12–2011 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0

Ram Prasad_2011.doc

पत्र संख्या–जीओ–109/सम्प्रेक्षा/महा माया आ0/दै0आ0)/2011–12, दिनांक 19 दिसम्बर–2011 का संलग्नक

महामाया आवास योजनान्तर्गत धनराशि का आंवटन

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवासविहीन परिवारों	आवंटित की जा रही [illegible] धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4	5
1	MEERUT	0	0.00	0.00
2	GHAZIABAD	10	4.50	39.90
3	BULANDSHAHAR	0	0.00	499.33
4	G.B. NAGAR*	0	0.00	28.35
5	BAGPAT	0	0.00	99.19
6	SAHARANPUR	13	5.85	417.83
7	MUZAFARNAGAR	0	0.00	146.85
8	MORADABAD	82	36.90	215.74
9	BIJNOR	0	0.00	578.05
10	RAMPUR	0	0.00	264.32
11	J.B.F. NAGAR	0	0.00	83.58
12	BAREILLY	0	0.00	341.76
13	BADAUN	0	0.00	1020.71
14	SHAHJAHANPUR	0	0.00	2052.41
15	PILIBHIT	0	0.00	426.33
16	AGRA	0	0.00	114.25
17	MAINPURI*	0	0.00	189.86
18	MATHURA	10	4.50	265.39
19	FIROZABAD	0	0.00	152.55
20	ALIGARH	6	2.70	201.34
21	ETAH	0	0.00	176.85
22	KANSHIRAM NAGAR	0	0.00	84.37
23	HATHRAS	0	0.00	89.32
24	JHANSI	0	0.00	711.34
25	JALAUN	26	12.61	277.43
26	LALITPUR	0	0.00	601.20
27	BANDA	12	5.82	487.09
28	HAMIRPUR	0	0.00	134.83
29	MAHOBA	0	0.00	235.14
30	CHITRAKUT	89	43.165	753.305
31	ALLAHABAD	0	0.00	2240.10
32	FATEHPUR	0	0.00	1300.77
33	PRATAPGARH	0	0.00	930.61
34	KAUSHAMBHI	10	4.50	2365.38
35	KANPUR NAGAR	0	0.00	326.41
36	KANPUR DEHAT	0	0.00	805.07
37	ETAWAH	0	0.00	425.82
38	FARRUKHABAD	0	0.00	291.60
39	KANNAUJ	105	47.25	393.53
40	ORRAIYA	0	0.00	152.87
41	VARANASI	27	12.15	316.07
42	GHAZIPUR	0	0.00	713.48
43	JAUNPUR	138	62.10	1433.90
44	CHANDAULI	0	0.00	896.85
45	MIRZAPUR	55	24.75	724.14

पत्र संख्या–जीओ–10?/सम्प्रेक्षा/महा माया आ0/दै0आ0)/2011–12, दिनांक 19 दिसम्बर–20

संलग्नक

महामाया आवास योजनान्तर्गत धनराशि का आंवटन

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवासविहीन परिवारों	आवंटित की जा रही [illegible] की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4	5
46	SONBHADRA	0	0.00	1162.35
47	SANT RAVIDAS NAGAR	0	0.00	1295.00
48	LUCKNOW	0	0.00	1559.15
49	SITAPUR	0	0.00	2120.86
50	UNNAO	75	33.75	1493.61
51	HARDOI	0	0.00	2801.11
52	KHERI	0	0.00	2948.52
53	RAE BARELI	0	0.00	1147.41
54	GORAKHPUR	0	0.00	765.11
55	DEORIA	0	0.00	429.67
56	KUSHINAGAR	0	0.00	433.51
57	MAHRAJGANJ	0	0.00	652.92
58	BASTI	0	0.00	368.28
59	SIDHARTHNAGAR	0	0.00	912.64
60	SANT KABIR NAGAR	0	0.00	320.57
61	AZAMGARH	0	0.00	782.98
62	MAU	0	0.00	597.57
63	BALLIA	0	0.00	1402.72
64	FAIZABAD	0	0.00	455.66
65	BARABANKI	0	0.00	1457.44
66	SULTANPUR	0	0.00	1589.02
67	AMBEDKARNAGAR	0	0.00	1041.58
68	GONDA	0	0.00	689.70
69	BAHRAICH	0	0.00	214.85
70	BALRAMPUR	0	0.00	273.22
71	SHRAWASTI	0	0.00	425.70
72	C.S.M. NAGAR	0	0.00	0.00
	STATE TOTAL	**658**	**300.545**	**51346.365**

(रू0 तीन करोड़ चौवन हजार पांच सौ मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा),
ग्राम्य विकास, उ0 प्र0।

सख्या–2132/38–4–11–25 बजट/11

प्रेषक,

रिग्जियान सैम्फिल
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0प्र0,लखनऊ

16/12/11
9895/BA/CRD/11
16-12-11

अपर आयुक्त (लेखा)

16.12.2011
(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ० प्र०

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक–14 दिसम्बर, 2011

विषयः– वर्ष–2011–12 में महामाया आवास योजनान्तर्गत दैवी आपदा हेत आरक्षित मात्राकृत धनराशि के उपयोग/व्यय के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–941/सम्प्रेक्षा/दैवी आपदा/2011–12, दिनांक–15 नवम्बर, 2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **महामाया आवास योजना** के कार्यान्वय हेतु रू0–550.00 करोड़ की धनराशि का बजट व्यवस्था प्राविधानित है। उक्त प्राविधानित बजट व्यवस्था में से 10 प्रतिशत की धनराशि अर्थात रू0–55.00 करोड़ की धनराशि दैवी आपदा हेतु मात्राकृत की गई है। उक्त मात्राकृत धनराशि में से दैवी आपदा से प्रभावित 1589 परिवारो के लिए कुल रू0–715.05 लाख तथा 233 परिवारों के लिए रू0–104.85 लाख की धनराशि व्यय/उपयोग किये जाने की अनुमति दी जा चुकी है। दैवी आपदा से प्रभावित 658 परिवारों के लिए रू0–300,545 लाख की धनराशि व्यय/उपयोग करने किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धो/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

कमांक	जनपद का नाम	आवास विहीन परिवारो की संख्या	अपेक्षित धनराशि (रूपये लाख में)
1–	कौशाम्बी	10	4.50
2–	उन्नाव	75	33.75
3–	चित्रकूट	89	43.165
4–	बांदा	12	5.82
5–	मथुरा	10	4.50
6–	सहारनपुर	13	5.85
7–	वारणसी	27	12.15
8–	कन्नौज	105	47.25
9–	जौनपुर	138	62.10
10	मुरादाबाद	82	36.90
11	जालौन	26	12.61
12	गाजियाबाद	10	4.50
13	मिर्जापुर	55	24.75

14	अलीगढ़	6	2.7[illegible]
	योग–	658	रू0– 300.545

3– उक्त स्वीकृति धनराशि शासनादेश संख्या–307/26–ब0प्र0– 2011–17 बजट/2010, दिनांक–11 अप्रैल 2011 में दिये गये शर्तो/प्रतिबन्धो के अन्तर्गत ही व्यय की जायेगी तथा उक्त शर्ते यथावत् लागू रहेगी।

4– उक्त धनराशि जनपद बाराबंकी,शाहजहॉपुर,इलाहाबाद,,मुजफ्फर नगर,रायबरेली देवरिया,सत रविदास नगर में दैवी आपदा से प्रभावित हुए आवास विहीन परिवारों के लिए महामाया आवास पर ही नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा । यदिउक्त स्वीकुत धनराशि का कोई अंश बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।

भवदीय,

(रिग्जियान सैम्फिल)
विशेष सचिव।

संख्या–2132(1)/38–4–11 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– अपर आयुक्त(लेखा),ग्राम्य विकास,उ0प्र0,लखनऊ।
3– मुख्य एवं वित्त लेखाधिकारी, ग्राम्य विकास,उ0प्र0,लखनऊ।
4– संवंधित जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
5– संवंधित जनपद के जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक।
6– संवंधित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
7– वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
8– राज्य योजना आयोग अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग–4
9– समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
10– ग्राम्य विकास अनुभाग–3
11–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकरी।

सख्या–2132/38–4–11–25 बजट/11

प्रेषक,

रिग्जियान सैम्फिल
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0प्र0,लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक–14 दिसम्बर, 2011

विषयः– वर्ष–2011–12 में महामाया आवास योजनान्तर्गत दैवी आपदा हेत आरक्षित मात्राकृत धनराशि के उपयोग/व्यय के संबंध में

महोदय,

उषर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–941/सम्प्रेक्षा/दैवी आपदा/2011–12, दिनांक–15 नवम्बर, 2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **महामाया आवास योजना** के कार्यान्वय हेतु रू0–550.00 करोड़ की धनराशि का बजट व्यवस्था प्राविधानित है। उक्त प्राविधानित बजट व्यवस्था में से 10 प्रतिशत की धनराशि अर्थात रू0–55.00 करोड़ की धनराशि दैवी आपदा हेतु मात्राकृत की गई है। उक्त मात्राकृत धनराशि में से दैवी आपदा से प्रभावित 1589 परिवारो के लिए कुल रू0–715.05 लाख तथा 233 परिवारों के लिए रू0–104.85 लाख की धनराशि व्यय/उपयोग किये जाने की अनुमति दी जा चुकी है। दैवी आपदा से प्रभावित 658 परिवारों के लिए रू0–300.545 लाख की धनराशि व्यय/उपयोग करने किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धो/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

कमांक	जनपद का नाम	आवास विहीन परिवारो की संख्या	अपेक्षित धनराशि (रूपये लाख में)
1–	कौशाम्बी	10	4.50
2–	उन्नाव	75	33.75
3–	चित्रकूट	89	43.165
4–	बांदा	12	5.82
5–	मथुरा	10	4.50
6–	सहारनपुर	13	5.85
7–	वारणसी	27	12.15
8–	कन्नौज	105	47.25
9–	जौनपुर	138	62.10
10	मुरादाबाद	82	36.90
11	जालौन	26	12.61
12	गाजियाबाद	10	4.50
13	मिर्जापुर	55	24.75

14	अलीगढ़	6	2.70
	योग–	658	रू0– 300.545

3– उक्त स्वीकृति धनराशि शासनादेश संख्या–307/26–ब0प्र0– 2011–17 बजट/2010, दिनांक–11 अप्रैल 2011 में दिये गये शर्तो/प्रतिबन्धो के अन्तर्गत ही व्यय की जायेगी तथा उक्त शर्ते यथावत् लागू रहेगी।

4– उक्त धनराशि जनपद बाराबंकी,शाहजहॉपुर,इलाहाबाद,,मुजफ्फर नगर,रायबरेली देवरिया,सत रविदास नगर में दैवी आपदा से प्रभावित हुए आवास विहीन परिवारों के लिए महामाया आवास पर ही नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा । यदिउक्त स्वीकुत धनराशि का कोई अंश बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।

भवदीय,

(रिग्जियान सैम्फिल)
विशेष सचिव।

<u>संख्या–2132(1)/38–4–11 तद्दिनांक</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– अपर आयुक्त(लेखा),ग्राम्य विकास,उ0प्र0,लखनऊ।
3– मुख्य एवं वित्त लेखाधिकारी, ग्राम्य विकास,उ0प्र0,लखनऊ।
4– संवंधित जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
5– संवंधित जनपद के जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक।
6– संवंधित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
7– वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
8– राज्य योजना आयोग अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग–4
9– समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
10– ग्राम्य विकास अनुभाग–3
11–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकरी।